

गोपनीय

विश्राम कक्ष  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
फिरोजाबाद।

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

विषय - अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-106/2023, दिनांकित 10-08-2023 के  
सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश अनुपालन में मैंने "5 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम" दिनांक 31 जुलाई, 2023 से 04 अगस्त, 2023 तक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उ०प्र० में प्रतिभाग किया। दिनांक 27-07-2023 को न्यायालय समयोपरान्त अनुमति लेकर दिनांक 28-07-2023 को आकस्मिक अवकाश, दिनांक 29-07-2023 को मुहूर्स अवकाश, दिनांक 30-07-2023 को रविवार अवकाश, दिनांक 31 जुलाई, 2023 से दिनांक 04 अगस्त, 2023 तक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उ०प्र० में, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने के उपरान्त दिनांक 05-08-2023 को यात्रा अवकाश, दिनांक 06-08-2023 को रविवार अवकाश के उपरान्त दिनांक 07-08-2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य किया। महोदय द्वारा मुझे, प्रशासनिक आदेश संख्या-110/2023, दिनांकित 27-07-2023 से प्रभारी अधिकारी, तलाश एवं निरीक्षण, टेलीफोन, मोबाइल, भवन न्यायालय एवं रिहाइश आदि का बनाया है। उक्त आदेश मुझे प्रथम बार, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उ०प्र० प्रशिक्षण से वापस आने पर दिनांक 07-08-2023 को अवलोकित कराया गया है।

किसी भी कर्मचारी द्वारा मेरे सम्मुख रखे गये किसी भी कार्य को करने में कभी भी कोई विलम्ब नहीं किया, न उसको स्थगित किया है, बल्कि तत्काल उस कार्य को पूर्ण किया है। मैंने किसी भी कर्मचारी को अपना व्यक्तिगत कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया। इस सम्बन्ध में किसी भी कर्मचारी ने मुझसे अथवा माननीय महोदय से कोई शिकायत नहीं की गयी है। माननीय महोदय द्वारा ऐसी किसी मौखिक/लिखित शिकायत की बावत आज तक मुझे अवगत नहीं कराया गया है। पोक्सो मीटिंग (मासिक बैठक) की आख्या पूर्व की भाँति उसी कर्मचारी द्वारा तैयार की जाती रही है। यदि इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब हुआ है तो वह मेरे अवकाश व प्रशिक्षण में रहने के कारण हुआ है।

19/8

न्यायालय फिरोजाबाद  
39/19-8-2023  
I/c CAO शेरवत (जनपद)  
न्यायिक विभाग को प्राप्त  
19/01/2023

दिनांक 10-08-2023 को सायंकाल लगभग 04:00 बजे जब मैं आशुलिपिक कक्ष में आशुलिपिक श्री राकेश कुमार सिंह को स्वयं कम्प्यूटर पर सीधे, अति प्राचीनतम वाद पी०एस०टी० संख्या-2187/2016, सरकार बनाम टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत, अन्तर्गत धारा-452, 354(ए) भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में निर्णय लिखा रहा था, तभी नजारत अनुभाग से श्रीमती अनीता (लिपिक) कुछ टेलीफोन के बिलों पर हस्ताक्षर कराने मेरे पास आशुलिपिक कक्ष में आयीं, तब मैंने कहा कि अभी मैं निर्णय लिखा रहा हूँ, यदि अति आवश्यक ना हो तो कल सुबह 11:00 बजे मेरे पास सभी बिल व इस मद में अवशेष बजट धनराशि संबंधी विवरण लेकर आ जाइएगा, तभी सभी बिलों पर मैं अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। यह सुनकर अनीता ने कहा अति-आवश्यक नहीं है, कल कर दीजिएगा। वह सुबह 11:00 बजे आने की कहकर चली गयीं और पुनः वापस नहीं आयीं। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि मुझसे सारी बात श्री मनोज कषाना, केन्द्रीय नाजिर ने पूछी थीं, उन्होंने ही माननीय जिला जज साहब को बड़ा चढ़ा कर बताई होंगी। मुझसे जिला जज साहब ने बुलाकर कुछ भी नहीं पूछा।

मुझे टेलीफोन आदि का प्रभारी अधिकारी बनाये जाने (दिनांक 27-07-2023) के उपरान्त मैं प्रथम बार दिनांक 07-08-2023 को न्यायालय में उपस्थित रहा व माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-07-2023 का संज्ञान हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे, माननीय महोदय द्वारा नवीन कार्य विवरण को समझने का अवसर ही मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है कि दिनांक 10-08-2023 की सायं 04:00 बजे जब मैं आशुलिपिक के कक्ष में निर्णय लिखा रहा था, तभी श्रीमती अनीता टेलीफोन का बिल लेकर आयी थीं। व्यस्त होने के कारण व अर्जेंट न होने के कारण मैंने, श्रीमती अनीता को अगले दिन आने के लिए कहा था, न कि इन्कार किया गया था।

माननीय महोदय द्वारा बुलाये जाने पर मैंने घटना की बावत सम्पूर्ण तथ्य माननीय महोदय के समक्ष अत्यन्त शालीनता से रखे। मेरे द्वारा माननीय महोदय की किसी भी बात/कथन का प्रतिवाद/विरोध नहीं किया गया। माननीय महोदय द्वारा मुझे "अच्छा अब आप जाइये" कहने पर मैं शालीनता से माननीय महोदय के आदेश से, विश्राम कक्ष से बाहर निकल गया।

मेरे द्वारा टेलीफोन बिल भुगतान की बावत पूछताछ के उपरान्त मैं, लगभग 20 मिनट बाद माननीय महोदय के चेम्बर में पुनः गया, तो महोदय के पास श्री एन० के० गिरि, श्री रविन्द्र कुमार एवं श्री ए० के० सिंह यादव बैठे हुए थे। अर्दली श्री दिलीप कुमार से पुछवाया तो, महोदय ने मिलने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं हुआ।

प्रतिलिपि अनुभाग (सिविल) में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती रागिनी गोयल से, महिला शौचालय में ताला लगाये जाने की बात को लेकर, माननीय महोदय से, दिनांक 06-07-2023 को मुख्य न्याय भवन के प्रथम तल पर, कोरीडोर में पोक्सो न्यायालय (मेरे न्यायालय कक्ष) के समक्ष प्रतिवाद हुआ, जिसको न्यायालय में कार्यरत सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, पुलिस कर्मचारीगण और विद्वान अधिवक्तागण द्वारा देखा गया, जिसकी कुछ लोगों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनायी गयी और उक्त महिला कर्मचारी द्वारा माननीय महोदय से अशोभनीय एवं असम्मानजनक तर्कों

से वार्ता की गयी, जिसको मौके पर ही मेरे द्वारा समझाया गया कि माँफी माँग लो, माननीय महोदय तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मेरे साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं व कर्मचारियों, के समझाने पर ही उक्त महिला कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में माननीय महोदय के समक्ष माँफीनामा दिया गया था।

मेरे द्वारा, त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी माह सितम्बर 2022, दिसम्बर 2022, मार्च 2023 एवं जून 2023 में प्रशासनिक क्षमता को लेकर कभी कोई टिप्पणी माननीय महोदय द्वारा नहीं की गई, ना ही सचेत किया, अपितु मेरी प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा भी की गई।


मेरे अन्दर प्रशासनिक क्षमता होने के उपरान्त ही माननीय महोदय ने मुझे, प्रशासनिक आदेश संख्या-66/2023, दिनांकित 03-05-2023 एवं प्रशासनिक आदेश संख्या-87/2023, दिनांक 07-06-2023 से Grievance Redressal Committee का वरिष्ठ सदस्य नियुक्त किया, जिसके चेयरमैन माननीय जिला जज महोदय हैं, अन्य सदस्य सी०जे०एम०, डी०जी०सी० (फौजदारी), डी०जी०सी० (सिविल) एवं अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, फिरोजाबाद थे। बार एसोसिएशन, फिरोजाबाद के अधिवक्ताओं के दिनांक 18-07-2023 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के उपरान्त माननीय महोदय ने उपरोक्त Redressal Committee का प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद, मुझे प्रशासनिक आदेश संख्या-102/2023, दिनांक 20-07-2023 से नवीन तीन सदस्यीय समिति गठित करते हुए मुझे, पुनः वरिष्ठ सदस्य, श्री इफराक अहमद, सदस्य व श्री अवधेश यादव, को भी सदस्य नियुक्त किया गया।

मेरे द्वारा उक्त समिति की अनेकों बैठक करके बार के पदाधिकारियों व वरिष्ठ सदस्यों से वार्ता करके 05 दिन पुरानी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कराया गया, जिसकी भूरी-भूरी प्रशंसा बार एसोसिएशन, फिरोजाबाद में, एवं माननीय महोदय ने स्वयं की और मेरी प्रशासनिक कार्य क्षमता का लोहा मानते हुए मुझे आशीर्वाद/साधुवाद दिया।

आख्या, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक 19-08-2023

भवदीय,



(विजय कुमार आजाद)

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

विषय -

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-106/2023, दिनांकित 10-08-2023 का जवाब  
देने हेतु 10 दिन का समय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


सविनय निवेदन है कि अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-106/2023, दिनांकित  
10-08-2023, जो मुझे दिनांक 11-08-2023 को सुबह प्राप्त हुआ था, का जवाब 03  
दिन में देने हेतु आदेशित किया गया है। चूंकि दिनांक 12-08-2023 द्वितीय शनिवार  
अवकाश एवं दिनांक 13-08-2023 रविवार अवकाश पड़ जाने के कारण प्रार्थी उक्त का  
जवाब तैयार नहीं कर सका है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि विषयांकित का जवाब देने के लिए कम  
से कम 10 दिन का समय प्रदान करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक: 14-08-2023

भवदीय,



(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

दिनांक 30/14/0/2023 पर  
द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-106/2023 का जवाब देना  
14/08/2023

Received  
17/8/2023  
10:20 AM

**Harvir Singh,  
District Judge,  
Firozabad.**

**Chamber,  
District Judge,  
Firozabad.**

**D.O.No.106/2023**

**Dated: 10 August 2023**

**Dear Shri Azad,**

It has come to my notice that as and when any official of the court is visiting your chamber either for any administrative work or in respect of duties assigned to you, on administrative side, your unnecessary delaying administrative work and rather forcing them to get your own work done, such as preparing the report of Pocso meeting and today again the official has gone for seeking your signature on the information to be sought from Telephone department, whether the bills in respect of the telephone numbers have been transferred to Telephone department through e payment. You refused to sign the same letters and stated that first of all I will check the budget of entire year. It may be noted that seeking information from the telephone department, whether particular bills have been deposited or not, is a routine administrative matter. Being Incharge of telephones, mobiles, building, court rooms and residential etc. and incharge of Search and Inspection, you have failed to discharge administrative duties, those have been delegated to you. Your above act is unbecoming of a Judicial Officer in the district. On being inquired, you started arguing the matter adversely in the presence of three officers of the cadre of H.J.S., namely Shri Navneet Kumar Giri, Shri Ravindra Kumar and Shri Awdhesh Kumar Singh.

You are hereby directed to reply the same within three days. Please Note.

Yours sincerely

  
(Harvir Singh) 10.8.23

To,

Sri Vijay Kumar Azad,  
Spl. Judge (Pocso) Act,  
Firozabad.

I will take care in future.

गोपनीय

विश्राम कक्ष  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
फिरोजाबाद।

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

पत्रांक -           /2024, वि०न्या० पोक्सो/ए.डी.जे., दिनांक 13-02-2024

विषय - अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-44/2024, दिनांकित 02-02-2024 का  
स्पष्टीकरण।

महोदय,

श्रीमान् जी द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र, अपराध सं०-15/2024, सरकार बनाम सुमित चौहान का रिमाण्ड, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में, न दिये जाने के संबंध में मुझसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है, जो प्रार्थी को दिनांक 05-02-2024 को प्राप्त हुआ।

विषयांकित के संबंध में सादर निवेदन है कि अपराध सं०-15/2024, थाना सिरसागंज के विवेचक श्री ओंकार सिंह यादव, उ०नि०, मध्याह्न भोज के उपरान्त, अन्य पुलिस कर्मियों के साथ न्यायालय में आकर बैठ गये। मेरे द्वारा श्री सत्यवीर सिंह, कोर्ट मोहर्रिर से पूछने पर विवेचक ने बताया कि श्रीमान् जी, नवीन रिमाण्ड लेना है। अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण, जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में हो रहा है और अभियुक्त अभी न्यायालय नहीं आया है।

तदोपरान्त मेरे द्वारा, न्यायालय में लम्बित अति प्राचीनतम 50 वादों एवं एक्शन प्लान वादों की सूची में शामिल पी०एस०टी० संख्या-924/2018, मुकदमा अपराध संख्या-1029/2017, सरकार बनाम शिव शंकर उर्फ शिवम, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(2)(5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद, की पत्रावली में, उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उक्त बहस उपरान्त, लगभग 04:00 बजे मैंने कोर्ट मोहर्रिर एवं विवेचक से रिमाण्ड हेतु, सम्पूर्ण केस डायरी के साथ अभियुक्त को अपने समक्ष उपस्थित करने हेतु निर्देशित किया, तब विवेचक ने अभियुक्त सुमित चौहान को मेरे समक्ष उपस्थित करके स्वयं कहा कि "महोदय, पीड़िता शिक्षित है और उसने वर्ष 2021 में सी०बी०एस०ई० बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा, एस०एस० प्रसाद पब्लिक स्कूल, टूण्डला से उत्तीर्ण की है। पीड़िता के अंक विवरणिका-सह-प्रमाणपत्र में उसकी जन्मतिथि 28-9-2005 के

13/2

सर्वेक्षक प्रो० 13/2/2024 से  
प्रमाणपत्र की प्रतीक लिखिए  
श्री शंकर उर्फ शिवम  
14/2/2024

अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को पीड़िता बालिग है। पीड़िता की आयु की गणना विवेचक एवं न्यायालय में मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष, स्वयं करके बताया कि पीड़िता, घटना दिनांक 09-01-2024 को (18 वर्ष, 03 माह, 12 दिन) की पूर्णतः बालिग है। विवेचक द्वारा रिमाण्ड के समय प्रस्तुत किये गये सी०डी० आदि प्रपत्रों को देखकर, मैंने कहा कि अभियुक्त सुमित चौहान का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पोक्सो अधिनियम, 2012, के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता।

मैंने, जब रिमाण्ड आदेश श्रुतलेख हेतु आशुलिपिक को बुलाया, तो विवेचक ने स्वयं कहा कि " मैं रिमाण्ड को परिवर्तित करके सक्षम न्यायालय से रिमाण्ड करा लेता हूँ। " यह कहकर विवेचक, अभियुक्त सुमित चौहान, अन्य सह-पुलिस कर्मियों को लेकर न्यायालय कक्ष से बाहर चले गये और शाम 05:00 बजे तक मेरे समक्ष न्यायालय में वापस नहीं आये। उसके उपरान्त मैं अपने न्यायालय का अन्य आवश्यक कार्य करके, अपने आवास पर चला गया।

**धारा-2(घ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2000,** में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

**आयु निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015,** के अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

**धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अनुसार पीड़िता की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा। **शैक्षिक अभिलेखों के अभाव में,** नगरपालिका आदि, चिकित्सीय परीक्षण और अस्थि जाँच के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है।

**धारा-2(घ) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2000 एवं धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015,** के आधार पर हाईस्कूल अंकपत्र में अंकित जन्मतिथि को प्राथमिकता दी जायेगी।

कुछ समय पश्चात् मुझे ज्ञात हुआ कि विवेचक, मय अभियुक्त एवं केस डायरी, माननीय महोदय के समक्ष विश्राम कक्ष में उपस्थित हैं। तब मैंने तत्काल माननीय महोदय से मोबाइल पर वार्ता करके सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए सादर निवेदन किया कि, महोदय उक्त रिमाण्ड नियमतः पोक्सो अधिनियम, 2012 में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हाईस्कूल अंकपत्र में वर्णित जन्मतिथि के अनुसार पीड़िता पूर्णतः बालिग है।

13/2

कुछ समय बाद माननीय महोदय ने मुझे अपने मोबाइल से फोन करके कहा कि आप कहाँ हैं ? रिमाण्ड क्यों नहीं दिया ? मेरे द्वारा तत्काल माननीय महोदय से निवेदन किया गया कि, मैं अभी आ रहा हूँ।

प्रार्थी कुछ ही क्षणों में माननीय महोदय के विश्राम कक्ष में पहुंचा तो देखा कि वहाँ कुछ न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ विवेचक श्री ओंकार सिंह यादव, कोर्ट मोहरीर श्री सत्यवीर सिंह आदि एवं अन्य पुलिस कर्मी विश्राम कक्ष में मौजूद थे।

मैंने, माननीय महोदय से त्वरित निवेदन किया कि, महोदय, मैं आ गया हूँ, अतः मैं, अभियुक्त सुमित चौहान के रिमाण्ड प्रपत्रों पर विधि सम्मत आदेश पारित कर देता हूँ, तो माननीय महोदय ने मुझे स्पष्ट शब्दों में मना करते हुए, प्रभारी अधिकारी को रिमाण्ड आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया। प्रभारी अधिकारी द्वारा, केस डायरी के तथ्यों एवं पीड़िता की हाईस्कूल अंकपत्र में वर्णित जन्मतिथि तथा मेरी बात पर बिना विचार किए, सरसरी तौर पर उन्हीं धाराओं में (प्रथम दृष्टया पीड़िता के बालिग होने पर भी), पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत रिमाण्ड आदेश पारित कर दिया।

माननीय महोदय, मेरे द्वारा न्यायिक कार्य में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है और ना ही अवैधानिक कार्य किया गया है।

स्पष्टीकरण, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक 13-02-2024

भवदीय,

(विजय कुमार आजाद)

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।



भारतीय गैर न्यायिक

NOTARIED

NOTARIAL

दस रुपये

TEN RUPEES

5.10

NOTARIED

NOTARIAL

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 047892

समक्ष- श्रीमान् प्रधानाचार्य महोदय,  
श्री शिव प्रसाद पब्लिक स्कूल,  
टूण्डला, फिरोजाबाद।

PAGE No.  
S. No  
DATE  
NOTARY

शपथपत्र मिनजानिव राधामोहन शर्मा पुत्र श्री वृज मोहन शर्मा निवासी हिमांयुपुर,  
फिरोजाबाद उम्र करीव 37 वर्ष।

शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न व्यान करता है:-

01. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी है नाम व पता सही है।
02. यह कि शपथकर्ता की पुत्री खुशी शर्मा आपके स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी।
03. यह कि शपथकर्ता की पुत्री की हाईस्कूल मार्कसीट पर जन्मतिथि 28.09.2005 दर्ज हो गयी है। जबकि शपथकर्ता की पुत्री की सही जन्मतिथि 28.09.2007 है।
04. यह कि शपथकर्ता की पुत्री के आधार कार्ड में भी सही जन्मतिथि 28.09.2007 हैं।
05. यह कि शपथकर्ता की पुत्री की माता का नाम श्रीमती वीनेश शर्मा है।
06. यह कि शपथकर्ता इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये यह शपथपत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इस शपथपत्र के आधार पर शपथकर्ता की पुत्री खुशी शर्मा की जन्मतिथि 28.09.2007 हाईस्कूल मार्कसीट पर सही किया जाना न्याय संगत है।



ATTESTED

शपथपत्र की मद संख्या 01 से 06 तक मेरी निजी जानकारी व विश्वास में सही व सत्य है सत्यापन आज दिनांक 08.09.2023 को मुकाम फिरोजाबाद में किया गया।

NOTARY PUBLIC FIROZABAD

शपथकर्ता.....उपरोक्त

शिव मोहन



School Code : 9161009212



# B.S.S. Hitech Public School

Tulsi Vihar, Himayunpur, Firozabad

## TRANSFER CERTIFICATE

Serial No. 452

S.R.No. ...0110.....

Book No.

Name of Pupil..... Khushi Sharma.....

Mother's Name..... Mrs.: Veenesh Sharma.....

Father's Name/Guardian's Name..... Mr.: Radhamohan Sharma.....

Nationality..... Indian..... Caste..... Brahmin.....

Date of First Admission in the School with Class..... 12/07/2016 - VI<sup>th</sup>.....

Date of Birth (in Christian Era) according to admission Register (in Figure in Words)..... 28-09-2007.....

Twenty - Eight September Two thousand Seven.....

Class in which the pupil last studied (in figure)..... VI<sup>th</sup>.....

School/Board Annual Examination last taken with result..... Pass.....

Whether qualified for Promotion to the higher Class..... VII<sup>th</sup>.....

General Conduct..... Good.....

Date of application for Certificate..... 20/07/2019.....

Date of Issue of Certificate..... 29/07/2019.....

Reason for leaving the School..... willingly.....

Any other Remarks..... Duplicate Copy.....

Certificate that above information is in accordance with the school records.

Prepared by

Checked by

Principal



# PROF. RAJENDRA SINGH PUBLIC SCHOOL

SECTOR-1, SUHAG NAGAR, FIROZABAD

Ph:-05612230065 9412267224

## TRANSFER CERTIFICATE

CBSE AFFILIATION NO.2130663 | SCHOOL CODE-60298 | S.R. NO.- 2924

- Name of the Pupil - KHUSHI SHARMA
- Father's Name/ Guardian's Name - MR. RADHAMOHAN SHARMA
- Mother's Name - MRS. VEENESH SHARMA
- Nationality - INDIAN
- Whatever the candidate belongs to - GENERAL
- Date of First Admission in the school with class - VII 18/07/2017
- Date of Birth( In cristion Era) according of Register (in Figures)- 28/09/2007
- In words - 28TH SEPTEMBER TWO THOUSAND SEVEN
- Class in which Pupil Last Studied (In Figures) VIII
- School Board/ Annual Examination on last taken with result - VIII PASS
- Whether Failed, if so once/ Twice in the same class - NO
- Subjects studies - HINDI, ENGLISH, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, COMPUTER, G.K
- Whether Qualified for Promotion to Higher class - YES
- if so, to which class (In figures In words) - IX
- Month upto Which the (Pupil has paid) school dues /paid - MARCH 2019
- Any concession on School fees - NO
- Total No. of Working days - 214
- Total No. of Working days (Present) - 192
- Whether the student is NCC cadet / Scout Guide details may given - NO
- Extra curricular Activities in which the pupil usually took part - NO
- General conduct - GOOD
- Date of Application for certificate - 10/01/2024
- Date of issue of certificate - 15/01/2024
- Reasons for leaving the school -ON PARENTS WISH
- Any other remark - NO

Signature of class teacher

Checked By

PRINCIPAL -  
PROF. RAJENDRA SINGH PUBLIC SCHOOL  
SECTOR-1, SUHAG NAGAR, FIROZABAD  
SCH. CODE-60298



भारत सरकार  
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India


पंजीकरण क्रम/ Enrolment No.: 1190/83332/11484

Download Date: 28/09/2016

To  
शुशी शर्मा  
Khushi Sharma  
D/D Sonu Sharma  
C L Jain Road  
Asharphi Nagar  
Brahman Chauraha  
Humeampur  
Firozabad  
Firozabad Uttar Pradesh - 283203  
9827015725

Issue Date: 28/09/2016

Signature valid



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

**7515 1576 4316**  
VID : 9118 5160 8627 3298

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार  
Government of India



शुशी शर्मा  
Khushi Sharma  
जन्म तिथि/DOB: 28/09/2007  
लिंग/ FEMALE

Download Date: 28/09/2016

Issue Date: 28/09/2016

**7515 1576 4316**  
VID : 9118 5160 8627 3298

मेरा आधार, मेरी पहचान



**सूचना**

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

**INFORMATION**

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication
- This is electronically generated letter

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता:  
आशुपति नगर, सी एल जैन रोड, ब्राह्मण चौराहा,  
अशरफी नगर, हिमापुर, फिरोजपुर,  
उत्तर प्रदेश - 283203

Address:  
D/D Sonu Sharma, C L Jain Road, Brahman  
Chauraha, Asharphi Nagar, Humeampur,  
Firozabad,  
Uttar Pradesh - 283203

**7515 1576 4316**  
VID : 9118 5160 8627 3298

1947 | 100

Remand on  
05/2/2024

**Harvir Singh,  
District Judge,  
Firozabad.**

**Chamber,  
District Judge,  
Firozabad.  
D.O.No. 44/2024  
Dated: 02 Feb., 2024**

**Dear Shri Azad,**

A remand under sections 363, 366, 376 IPC. and ¼ Pocso Act, P.S. Sirsaganj, District Firozabad was produced by the I.O. of concerned case in Pocso Court, you being the Presiding Officer. As per version of the I.O., he appeared in the court at around 2 o'clock and till the rising of the court, no order whatsoever was passed on your part. At 05.11 p.m., you telephoned to the undersigned regarding the remand of accused persons. During telephonic conversation on my telephone number, you stated therein, that the victim is above the age of 18 years, which as per your version was based on High School Certificate of the victim, thereafter you stated that order shall be passed as per the age of the victim and thereafter the remand shall be done by the concerned Magistrate. After 4-5 minutes, the I.O. again appeared and stated that learned P.O./A.S.J. left the court and your chamber is locked. Since few officers were sitting in the Chamber of the undersigned and next P.O. of the Pocso Court No.1, namely Sri Awdhesh Pandey examined the papers, submitted by the I.O. and gave remand at 05.15 p.m. As per telephonic conversation, you did not pass any order rather left to your residence, and therefore, the I.O. and his colleagues and the accused appeared thereafter.

Your act of not passing order on remand, for about three hours and leaving the court without passing any order on remand, whatsoever on your part, is <sup>अव्यवहार / अन्याय</sup> unbecoming of a Judicial Officer, which is against the judicial propriety in discharge of your judicial duties. <sub>व्यवहार / औचित्य / न्यायिक अनुशासन</sub>

As stated above and as per the circumstances, your reply should reach to the undersigned within a week.

*Harvir Singh*  
02.2.24  
(Harvir Singh)

To,

Shri Vijay Kumar Azad,  
A.D.J./Spl. Judge (Pocso) Act  
Firozabad.

**DISTRICT JUDGE  
FIROZABAD**

## न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

राज्य बनाम सुमित चौहान।

S.T. 1055/2024

अपराध संख्या-15/2024

धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं०

धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम

थाना-दक्षिण, जिला फिरोजाबाद

**दिनांक 11-03-2024**

वादी श्याम मोहन शर्मा ने घटना दिनांक 09-01-2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपनी भतीजी खुशी शर्मा, उम्र 17 साल, 6 माह को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में, मुकदमा अपराध संख्या-15/2024, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं०, अभियुक्त सुमित चौहान के विरुद्ध थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में दर्ज कराई थी। विवेचक श्री ओंकार नाथ यादव, उ०नि० ने विवेचनापरान्त अभियुक्त सुमित चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में न्यायालय प्रेषित किया। आरोप पत्र, क्षेत्राधिकारी (शहर) ने दिनांक 20-02-2024 को अग्रसारित किया। अभियोजन ने अपनी आख्या दिनांक 04-03-2024 को पृष्ठांकित की।

सम्पूर्ण केस डायरी एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों के सम्यक् अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की भतीजी/पीड़िता खुशी शर्मा घटना दिनांक 09-01-2024 को प्रातः 05:00 बजे से घर से गायब थी। पूछने पर पता चला कि अभियुक्त सुमित चौहान उनकी भतीजी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन थाना दक्षिण में दर्ज कराई गई।

पीड़िता खुशी ने केस डायरी के पर्चा सं०-8 व 9, दिनांक 30-01-2024 में बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में घटना के समय अपनी उम्र 18 वर्ष, 03 माह (बालिग) होना कहा और कक्षा-12 तक पढ़ना कहा है। पीड़िता खुशी का हाईस्कूल अंकपत्र सह प्रमाणपत्र, 2021 केस डायरी के साथ संलग्नक है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 28-09-2005 अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता खुशी की आयु घटना दिनांक 09-01-2024 को 18 साल, 03 माह, 11 दिन की बालिग है।

घटना दिनांक 09-01-2024 को घटित होने के उपरान्त पीड़िता खुशी के पिता राधामोहन ने अपनी पुत्री की जन्मतिथि 28-09-2005 के स्थान पर 28-09-2007 होना कहा और यह भी कहा कि मेरी पुत्री की कक्षा-6 से कक्षा-12 तक सभी अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2007 अंकित है। पीड़िता खुशी ने हाईस्कूल का फार्म भरते समय अपनी मूल जन्मतिथि 28-09-2007 के स्थान पर 28-09-2005 स्कूल के अभिलेखों में अंकित कर दी है। पीड़िता खुशी के पिता द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाणपत्र, उ०प्र० सरकार नगर निगम, फिरोजाबाद, में उसकी जन्मतिथि 28-09-2007 अंकित है। घटना के लगभग 11 दिन बाद, दिनांक 20-01-2024 को पंजीकृत कराकर उसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की है। जन्म प्रमाणपत्र दिनांक 20-01-2024 से पूर्व पीड़िता खुशी का कोई जन्म प्रमाणपत्र विवेचक श्री यादव ने केस डायरी के साथ संलग्न नहीं किया है और न इस बिन्दु पर विवेचक श्री यादव ने कोई विवेचना की है।

पीड़िता खुशी ने बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी उम्र 18 वर्ष और अपनी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 बताई है, जिसका समर्थन पीड़िता खुशी के हाईस्कूल अंकपत्र सह प्रमाणपत्र, 2021 में वर्णित जन्मतिथि दिनांक

28-09-2005 से भी होता है, जिसका पीड़िता खुशी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० से समर्थन किया है।

पीड़िता खुशी के पिता राधा मोहन द्वारा विद्यालय में एक शपथपत्र दिनांक 08-09-2023 को, हाईस्कूल प्रमाणपत्र में वर्णित जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 को बदल कर दिनांक 28-09-2007 परिवर्तित करने हेतु दिया है, जबकि मुकदमा दिनांक 09-01-2024 को दर्ज हुआ है और वादी, पीड़िता खुशी का मूल अंकपत्र खो जाना और इस बावत एफ०आई०आर० भी दर्ज कराना कहा है। वादी ने यह नहीं कहा कि पीड़िता खुशी अपने साथ अंकपत्र ले गयी थी, या फिर किस प्रकार हाईस्कूल का मूल अंकपत्र घर से नष्ट/गायब हो गया, इस बिन्दु पर विवेचक श्री यादव ने कोई विवेचना नहीं की है।

राधामोहन ने पीड़िता खुशी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों में पीड़िता खुशी की जन्मतिथि दिनांक 28-09-2007 अंकित होना कहा है, जबकि इसके विपरीत पीड़िता खुशी ने अपने सभी बयानों में और हाईस्कूल अंक पत्र में अपनी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 होना कहा है।

पीड़ित बालक की आयु के निर्धारण के लिए **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा-2(घ) में "बालक"** को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - **"बालक"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

**धारा-94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी **अस्थि जाँच** या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

पोक्सो अधिनियम के उपरोक्त आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार बालक का प्रथम स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाईस्कूल अंक पत्र में वर्णित जन्मतिथि ही बालक की जन्मतिथि मानी जाएगी। कक्षा-6 और उसके उपरान्त कक्षा-12 तक एवं आधार कार्ड आदि अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि को वरीयता नहीं दी जा सकती है। विवेचक श्री यादव ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की, कि पीड़िता खुशी ने प्रारम्भिक कक्षा एवं कक्षा-1 लगायत कक्षा-5 तक की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की और उसके स्कूल अभिलेखों अंक पत्र, एस०आर० रजिस्टर, प्रवेश फार्म आदि में जन्मतिथि क्या अंकित कराई थी? विवेचक श्री यादव एवं वादी श्याम मोहन इस प्रश्न पर मौन हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा एवं कक्षा-1 लगायत 5 तक पीड़िता खुशी का दाखिला विद्यालय में जन्म प्रमाण पत्र (जो दिनांक 20-01-2024 को पंजीकृत कराया गया है), के अभाव में किस अभिलेख के आधार पर कराया गया है, जबकि पीड़िता खुशी हिमायुंपुर फिरोजाबाद शहर में निवास करती है।

केस डायरी के पर्चा सं०-13, दिनांक 07-02-2024 में, श्री शिव प्रसाद पब्लिक स्कूल, टूण्डला की प्रधानाचार्या श्रीमती लक्ष्मी शर्मा ने अपने बयान में कहा कि छात्रा खुशी शर्मा द्वारा चुपके से अपनी जन्मतिथि विद्यालय के अभिलेखों में दिनांक 28-09-2007 की जगह दिनांक 28-09-2005 अंकित कर दी थी। जन्मतिथि के बदलाव हेतु स्कूल द्वारा एक ई-मेल रीजनल ऑफिसर सी०बी०एस०सी०, रिहाइनल ऑफिस, नोएडा, उ०प्र० को भेजा गया है। उसकी प्रतिलिपि विवेचक तथा वादी को उपलब्ध कराते हुए कहा कि अंक तालिका में


जन्मतिथि का सुधार करके नई अंक तालिका आ जाएगी, तो मैं उसकी छायाप्रति आपको एवं छात्रा के परिवारीजन को उपलब्ध करा दूंगी। विवेचक ने तथाकथित पीड़िता खुशी की संशोधित हाईस्कूल की अंक तालिका केस डायरी के साथ संलग्न नहीं की है, ना ही उसे केस डायरी का अंश बनाया है। पीड़िता खुशी की परिवर्तित जन्मतिथि के अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को उसकी सम्भवतः उम्र 16 वर्ष, 03 माह, 11 दिन होगी, जबकि पीड़िता खुशी के कथनानुसार एवं हाईस्कूल के अंकपत्र के अनुसार घटना दिनांक को वह 18 साल, 03 माह, 11 दिन की पूर्णतः बालिग है, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपराध बनता प्रतीत नहीं होता है।

यहाँ पर यह उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत मामले में विवेचक जब प्रथम रिमाण्ड लेने के लिए न्यायालय के समक्ष दिनांक 01-02-2024 को उपस्थित आए थे, तो विवेचक श्री यादव ने स्वयं कहा था कि, "श्रीमान् जी, पीड़िता, हाईस्कूल अंकपत्र में अंकित जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 के अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को 18 साल, 03 माह, 11 दिन की बालिग है।" पीड़िता खुशी की आयु का आकलन विवेचक ने उसी दिन अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष ही किया था, जिसकी गणना रिमाण्ड पत्रावली के फाइल कवर पर अंकित है। विवेचक श्री यादव ने न्यायालय से भी कहा था कि प्रस्तुत मामले में पोक्सो अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। दौरान विवेचना में समुचित धाराओं में मामला परिवर्तित करके अग्रिम रिमाण्ड में संशोधन करा लूंगा। विवेचक द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण/मूल साक्ष्य केस डायरी में वर्णित किए पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया, जो विवेचक द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण विवेचना को परिलक्षित करता है।

इस आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह किसी अन्य सक्षम विवेचक से प्रस्तुत मामले की विधि सम्मत अग्रिम विवेचना अन्दर म्याद अवधि कराकर न्यायालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति, माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक 11-03-2024

  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।





**-:: आदेश ::-**

कृपया माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश पत्रांक दिनांक-11.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2024 धारा-363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट वादी श्री श्याम मोहन शर्मा की विवेचना उ0नि0 श्री ओंमाकार नाथ यादव द्वारा संपादित की गयी थी। विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त समित चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक-07.02.2024 किता कर माननीय न्यायालय में दिनांक-04.03.2024 को प्रेषित की गयी है।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही पर माननीय न्यायालय द्वार संज्ञान लेकर अंकित किया गया है कि पॉक्सो अधिनियम के उग्र निर्धारण के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार विवेचक द्वारा इस बिन्दु पर कोई विवेचना संपादित नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा दौराने विवेचना समुचित धाराओं में मामला परिवर्तित करके अग्रिम रिमांड में संशोधन कर लेने संबंधी बात भी माननीय न्यायालय के समक्ष की गयी थी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण/मूल साक्ष्य को संकलित किये बिना ही केस डायरी में वर्णित किए पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया, जो विवेचक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण विवेचना को परिलक्षित करने संबंधी तथ्य माननीय न्यायालय द्वारा अंकित करते हुए प्रश्नगत अभियोग की विधि सम्मत अग्रिम विवेचना किसी अन्य सक्षम विवेचक से निश्चित समयावधि में कराकर कृत कार्यवाही से अबगत कराये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2024 धारा-363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट की विवेचना तत्काल प्रभाव से श्री योगेन्द्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण फिरोजाबाद को सुपुर्द की जाती है तथा प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण को निर्देशित किया जाता है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में महत्वपूर्ण/मूल/ठोस/सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर निष्पक्षतापूर्वक अग्रिम विवेचना संपादित करते हुए गुण दोष के आधार पर विवेचना का शीघ्रातिशीघ्र विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।


संलग्नक:- आदेश माननीय न्यायालय।

पत्रांक:- आर-एसपी-48/2024 (अग्रिम विवेचना)

दिनांक:- मार्च 18, 2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण को अनुपालनार्थ।

  
(सौरभ दीक्षित)  
पुलिस अधीक्षक,  
फिरोजाबाद।

14/03/24  
280  
11/3/24

S.S. Ferozabad

1

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

राज्य बनाम सुमित चौहान।



अपराध संख्या-15/2024

धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं०

धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम

थाना-दक्षिण, जिला फिरोजाबाद

दिनांक 11-03-2024

वादी श्याम मोहन शर्मा ने घटना दिनांक 09-01-2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपनी भतीजी खुशी शर्मा, उम्र 17 साल, 6 माह को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में, मुकदमा अपराध संख्या-15/2024, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं०, अभियुक्त सुमित चौहान के विरुद्ध थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में दर्ज कराई थी। विवेचक श्री ओंकार नाथ यादव, उ०नि० ने विवेचनापरान्त अभियुक्त सुमित चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में न्यायालय प्रेषित किया। आरोप पत्र, क्षेत्राधिकारी (शहर) ने दिनांक 20-02-2024 को अग्रसारित किया। अभियोजन ने अपनी आख्या दिनांक 04-03-2024 को पृष्ठांकित की।

सम्पूर्ण केस डायरी एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों के सम्यक् अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की भतीजी/पीड़िता खुशी शर्मा घटना दिनांक 09-01-2024 को प्रातः 05:00 बजे से घर से गायब थी। पूछने पर पता चला कि अभियुक्त सुमित चौहान उनकी भतीजी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन थाना दक्षिण में दर्ज कराई गई।

पीड़िता खुशी ने केस डायरी के पर्चा सं०-8 व 9, दिनांक 30-01-2024 में बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में घटना के समय अपनी उम्र 18 वर्ष, 03 माह (बालिग) होना कहा और कक्षा-12 तक पढ़ना कहा है। पीड़िता खुशी का हाईस्कूल अंकपत्र सह प्रमाणपत्र, 2021 केस डायरी के साथ संलग्न है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 28-09-2005 अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता खुशी की आयु घटना दिनांक 09-01-2024 को 18 साल, 03 माह, 11 दिन की बालिग है।

घटना दिनांक 09-01-2024 को घटित होने के उपरान्त पीड़िता खुशी के पिता राधामोहन ने अपनी पुत्री की जन्मतिथि 28-09-2005 के स्थान पर 28-09-2007 होना कहा और यह भी कहा कि मेरी पुत्री की कक्षा-6 से कक्षा-12 तक सभी अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2007 अंकित है। पीड़िता खुशी ने हाईस्कूल का फार्म भरते समय अपनी मूल जन्मतिथि 28-09-2007 के स्थान पर 28-09-2005 स्कूल के अभिलेखों में अंकित कर दी है। पीड़िता खुशी के पिता द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाणपत्र, उ०प्र० सरकार नगर निगम, फिरोजाबाद, में उसकी जन्मतिथि 28-09-2007 अंकित है। घटना के लगभग 11 दिन बाद, दिनांक 20-01-2024 को पंजीकृत कराकर उसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की है। जन्म प्रमाणपत्र दिनांक 20-01-2024 से पूर्व पीड़िता खुशी का कोई जन्म प्रमाणपत्र विवेचक श्री यादव ने केस डायरी के साथ संलग्न नहीं किया है और न इस बिन्दु पर विवेचक श्री यादव ने कोई विवेचना की है।

पीड़िता खुशी ने बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी उम्र 18 वर्ष और अपनी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 बताई है, जिसका समर्थन पीड़िता खुशी के हाईस्कूल अंकपत्र सह प्रमाणपत्र 2021 में वर्णित जन्मतिथि दिनांक

R  
JONNA  
12/3

11/3

28-09-2005 से भी होता है, जिसका पीड़िता खुशी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० से समर्थन किया है।

पीड़िता खुशी के पिता राधा मोहन द्वारा विद्यालय में एक शपथपत्र दिनांक 08-09-2023 को, हाईस्कूल प्रमाणपत्र में वर्णित जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 को बदल कर दिनांक 28-09-2007 परिवर्तित करने हेतु दिया है, जबकि मुकदमा दिनांक 09-01-2024 को दर्ज हुआ है और वादी, पीड़िता खुशी का मूल अंकपत्र खो जाना और इस बावत एफ०आई०आर० भी दर्ज कराना कहा है। वादी ने यह नहीं कहा कि पीड़िता खुशी अपने साथ अंकपत्र ले गयी थी, या फिर किस प्रकार हाईस्कूल का मूल अंकपत्र घर से नष्ट/गायब हो गया, इस बिन्दु पर विवेचक श्री यादव ने कोई विवेचना नहीं की है।

राधामोहन ने पीड़िता खुशी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों में पीड़िता खुशी की जन्मतिथि दिनांक 28-09-2007 अंकित होना कहा है, जबकि इसके विपरीत पीड़िता खुशी ने अपने सभी बयानों में और हाईस्कूल अंक पत्र में अपनी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 होना कहा है।

पीड़ित बालक की आयु के निर्धारण के लिए **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा-2(घ) में "बालक"** को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - **"बालक"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

**धारा-94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी **अस्थि जाँच** या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

पोकसो अधिनियम के उपरोक्त आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार बालक का प्रथम स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाईस्कूल अंक पत्र में वर्णित जन्मतिथि ही बालक की जन्मतिथि मानी जाएगी। कक्षा-6 और उसके उपरान्त कक्षा-12 तक एवं आधार कार्ड आदि अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि को वरीयता नहीं दी जा सकती है। विवेचक श्री यादव ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की, कि पीड़िता खुशी ने प्रारम्भिक कक्षा एवं कक्षा-1 लगायत कक्षा-5 तक की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की और उसके स्कूल अभिलेखों अंक पत्र, एस०आर० रजिस्टर, प्रवेश फार्म आदि में जन्मतिथि क्या अंकित कराई थी? विवेचक श्री यादव एवं वादी श्याम मोहन इस प्रश्न पर मौन हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा एवं कक्षा-1 लगायत 5 तक पीड़िता खुशी का दाखिला विद्यालय में जन्म प्रमाण पत्र (जो दिनांक 20-01-2024 को पंजीकृत कराया गया है), के अभाव में किस अभिलेख के आधार पर कराया गया है, जबकि पीड़िता खुशी हिमायुंपुर फिरोजाबाद शहर में निवास करती है।

केस डायरी के पर्चा सं०-13, दिनांक 07-02-2024 में, श्री शिव प्रसाद पब्लिक स्कूल, टूण्डला की प्रधानाचार्या श्रीमती लक्ष्मी शर्मा ने अपने बयान में कहा कि छात्रा खुशी शर्मा द्वारा चुपके से अपनी जन्मतिथि विद्यालय के अभिलेखों में दिनांक 28-09-2007 की जगह दिनांक 28-09-2005 अंकित कर दी थी। जन्मतिथि के बदलाव हेतु स्कूल द्वारा एक ई-मेल रीजनल ऑफीसर सी०बी०एस०सी०, रिहाइनल ऑफिस, नोएडा, उ०प्र० को भेजा गया है। उसकी प्रतिलिपि विवेचक तथा वादी को उपलब्ध कराते हुए कहा कि अंक तालिका में

जन्मतिथि का सुधार करके नई अंक तालिका आ जाएगी, तो मैं उसकी छायाप्रति आपको एवं छात्रा के परिवारीजन को उपलब्ध करा दूंगी। विवेचक ने तथाकथित पीड़िता खुशी की संशोधित हाईस्कूल की अंक तालिका केस डायरी के साथ संलग्न नहीं की है, ना ही उसे केस डायरी का अंश बनाया है। पीड़िता खुशी की परिवर्तित जन्मतिथि के अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को उसकी सम्भवतः उम्र 16 वर्ष, 03 माह, 11 दिन होगी, जबकि पीड़िता खुशी के कथनानुसार एवं हाईस्कूल के अंकपत्र के अनुसार घटना दिनांक को वह 18 साल, 03 माह, 11 दिन की पूर्णतः बालिग है, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपराध बनता प्रतीत नहीं होता है।

यहाँ पर यह उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत मामले में विवेचक जब प्रथम रिमाण्ड लेने के लिए न्यायालय के समक्ष दिनांक 01-02-2024 को उपस्थित आए थे, तो विवेचक श्री यादव ने स्वयं कहा था कि, "श्रीमान् जी, पीड़िता, हाईस्कूल अंकपत्र में अंकित जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 के अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को 18 साल, 03 माह, 11 दिन की बालिग है।" पीड़िता खुशी की आयु का आकलन विवेचक ने उसी दिन अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष ही किया था, जिसकी गणना रिमाण्ड पत्रावली के फाइल कवर पर अंकित है। विवेचक श्री यादव ने न्यायालय से भी कहा था कि प्रस्तुत मामले में पोक्सो अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। दौरान विवेचना में समुचित धाराओं में मामला परिवर्तित करके अग्रिम रिमाण्ड में संशोधन करा लूंगा। विवेचक द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण/मूल साक्ष्य केस डायरी में वर्णित किए पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया, जो विवेचक द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण विवेचना को परिलक्षित करता है।

इस आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह किसी अन्य सक्षम विवेचक से प्रस्तुत मामले की विधि सम्मत अग्रिम विवेचना अन्दर म्याद अवधि कराकर न्यायालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति, माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।



दिनांक 11-03-2024

11/3/24  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अग्रिम रिमाण्ड पत्रावली न्यायाधीश,  
विशेष न्यायाधीश, फिरोजाबाद अधिनियम  
फिरोजाबाद

**-:: आदेश ::-**

कृपया माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश पत्रांक दिनांक-11.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2024 धारा-363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट वादी श्री श्याम मोहन शर्मा की विवेचना उ0नि0 श्री ओंमाकार नाथ यादव द्वारा संपादित की गयी थी। विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त समित चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक-07-02.2024 किता कर माननीय न्यायालय में दिनांक-04.03.2024 को प्रेषित की गयी है।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही पर माननीय न्यायालय द्वार संज्ञान लेकर अंकित किया गया है कि पॉक्सो अधिनियम के उग्र निर्धारण के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार विवेचक द्वारा इस बिन्दु पर कोई विवेचना संपादित नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा दौराने विवेचना समुचित धाराओं में मामला परिवर्तित करके अग्रिम रिमांड में संशोधन कर लेने संबंधी बात भी माननीय न्यायालय के समक्ष की गयी थी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण/मूल साक्ष्य को संकलित किये बिना ही केस डायरी में वर्णित किए पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया, जो विवेचक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण विवेचना को परिलक्षित करने संबंधी तथ्य माननीय न्यायालय द्वारा अंकित करते हुए प्रश्नगत अभियोग की विधि सम्मत अग्रिम विवेचना किसी अन्य सक्षम विवेचक से निश्चित समयावधि में कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2024 धारा-363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट की विवेचना तत्काल प्रभाव से श्री योगेन्द्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण फिरोजाबाद को सुपुर्द की जाती है तथा प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण को निर्देशित किया जाता है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में महत्वपूर्ण/मूल/ठोस/सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर निष्पक्षतापूर्वक अग्रिम विवेचना संपादित करते हुए गुण दोष के आधार पर विवेचना का शीघ्रातिशीघ्र विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।


संलग्नक:- आदेश माननीय न्यायालय।

पत्रांक:- आर-एसपी-48/2024 (अग्रिम विवेचना)

दिनांक:- मार्च 18, 2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण को अनुपालनार्थ।

  
(सौरभ दीक्षित)  
पुलिस अधीक्षक,  
फिरोजाबाद।



28-09-2005 से भी होता है, जिसका पीड़िता खुशी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दंप्रंसं० से समर्थन किया है।

पीड़िता खुशी के पिता राधा मोहन द्वारा विद्यालय में एक शपथपत्र दिनांक 08-09-2023 को, हाईस्कूल प्रमाणपत्र में वर्णित जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 को बदल कर दिनांक 28-09-2007 परिवर्तित करने हेतु दिया है, जबकि मुकदमा दिनांक 09-01-2024 को दर्ज हुआ है और वादी, पीड़िता खुशी का मूल अंकपत्र खो जाना और इस बावत एफ०आई०आर० भी दर्ज कराना कहा है। वादी ने यह नहीं कहा कि पीड़िता खुशी अपने साथ अंकपत्र ले गयी थी, या फिर किस प्रकार हाईस्कूल का मूल अंकपत्र घर से नष्ट/गायब हो गया, इस बिन्दु पर विवेचक श्री यादव ने कोई विवेचना नहीं की है।

राधामोहन ने पीड़िता खुशी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों में पीड़िता खुशी की जन्मतिथि दिनांक 28-09-2007 अंकित होना कहा है, जबकि इसके विपरीत पीड़िता खुशी ने अपने सभी बयानों में और हाईस्कूल अंक पत्र में अपनी जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 होना कहा है।

पीड़ित बालक की आयु के निर्धारण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

**धारा-94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

पोक्सो अधिनियम के उपरोक्त आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार बालक का प्रथम स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाईस्कूल अंक पत्र में वर्णित जन्मतिथि ही बालक की जन्मतिथि मानी जाएगी। कक्षा-6 और उसके उपरान्त कक्षा-12 तक एवं आधार कार्ड आदि अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि को वरीयता नहीं दी जा सकती है। विवेचक श्री यादव ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की, कि पीड़िता खुशी ने प्रारम्भिक कक्षा एवं कक्षा-1 लगायत कक्षा-5 तक की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की और उसके स्कूल अभिलेखों अंक पत्र, एस०आर० रजिस्टर, प्रवेश फार्म आदि में जन्मतिथि क्या अंकित कराई थी? विवेचक श्री यादव एवं वादी श्याम मोहन इस प्रश्न पर मौन हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा एवं कक्षा-1 लगायत 5 तक पीड़िता खुशी का दाखिला विद्यालय में जन्म प्रमाण पत्र (जो दिनांक 20-01-2024 को पंजीकृत कराया गया है), के अभाव में किस अभिलेख के आधार पर कराया गया है, जबकि पीड़िता खुशी हिमायुंपुर फिरोजाबाद शहर में निवास करती है।

केस डायरी के पर्चा सं०-13, दिनांक 07-02-2024 में, श्री शिव प्रसाद पब्लिक स्कूल, टूण्डला की प्रधानाचार्या श्रीमती लक्ष्मी शर्मा ने अपने बयान में कहा कि छात्रा खुशी शर्मा द्वारा चुपके से अपनी जन्मतिथि विद्यालय के अभिलेखों में दिनांक 28-09-2007 की जगह दिनांक 28-09-2005 अंकित कर दी थी। जन्मतिथि के बदलाव हेतु स्कूल द्वारा एक ई-मेल रीजनल ऑफीसर सी०बी०एस०सी०, रिहाइनल ऑफिस, नोएडा, उ०प्र० को भेजा गया है। उसकी प्रतिलिपि विवेचक तथा वादी को उपलब्ध कराते हुए कहा कि अंक तालिका में



जन्मतिथि का सुधार करके नई अंक तालिका आ जाएगी, तो मैं उसकी छायाप्रति आपको एवं छात्रा के परिवारीजन को उपलब्ध करा दूंगी। विवेचक ने तथाकथित पीड़िता खुशी की संशोधित हाईस्कूल की अंक तालिका केस डायरी के साथ संलग्न नहीं की है, ना ही उसे केस डायरी का अंश बनाया है। पीड़िता खुशी की परिवर्तित जन्मतिथि के अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को उसकी सम्भवतः उम्र 16 वर्ष, 03 माह, 11 दिन होगी, जबकि पीड़िता खुशी के कथनानुसार एवं हाईस्कूल के अंकपत्र के अनुसार घटना दिनांक को वह 18 साल, 03 माह, 11 दिन की पूर्णतः बालिग है, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपराध बनता प्रतीत नहीं होता है।

यहाँ पर यह उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत मामले में विवेचक जब प्रथम रिमाण्ड लेने के लिए न्यायालय के समक्ष दिनांक 01-02-2024 को उपस्थित आए थे, तो विवेचक श्री यादव ने स्वयं कहा था कि, "श्रीमान् जी, पीड़िता, हाईस्कूल अंकपत्र में अंकित जन्मतिथि दिनांक 28-09-2005 के अनुसार घटना दिनांक 09-01-2024 को 18 साल, 03 माह, 11 दिन की बालिग है।" पीड़िता खुशी की आयु का आकलन विवेचक ने उसी दिन अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष ही किया था, जिसकी गणना रिमाण्ड पत्रावली के फाइल कवर पर अंकित है। विवेचक श्री यादव ने न्यायालय से भी कहा था कि प्रस्तुत मामले में पोक्सो अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। दौरान विवेचना में समुचित धाराओं में मामला परिवर्तित करके अग्रिम रिमाण्ड में संशोधन करा लूंगा। विवेचक द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण/मूल साक्ष्य केस डायरी में वर्णित किए पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया, जो विवेचक द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण विवेचना को परिलक्षित करता है।

इस आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह किसी अन्य सक्षम विवेचक से प्रस्तुत मामले की विधि सम्मत अग्रिम विवेचना अन्दर म्याद अवधि कराकर न्यायालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति, माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।



दिनांक 11-03-2024

11/3/2024  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अग्रिम रिमाण्ड समितिके अध्यक्ष,  
विशेष न्यायाधीश, फिरोजाबाद अधिनियम  
फिरोजाबाद

0914113


 रजि. नं.  
Regn.No. N121/60471/0045

 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

 अंक विवरणिका सह प्रमाण पत्र  
MARKS STATEMENT CUM CERTIFICATE

 माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2021  
SECONDARY SCHOOL EXAMINATION, 2021


यह प्रमाणित किया जाता है कि

This is to certify that

KHUSHI SHARMA

अनुक्रमांक

Roll No. 21153843

माता का नाम

Mother's Name VEENESH SHARMA

पिता/संरक्षक का नाम

Father's / Guardian's Name RADHA MOHAN SHARMA

जन्म तिथि

Date of Birth 28-09-2005 28TH SEPTEMBER TWO THOUSAND FIVE

विद्यालय

School 60471 - S S PRASAD PUBLIC SCHOOL TUNDLA FIROZABAD UP

शैक्षणिक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं has achieved Scholastic Achievements as under :

विषय कोड SUB. CODE	विषय SUBJECT	प्राप्त अंक MARKS OBTAINED				स्थितीय ग्रेड POSITIONAL GRADE
		लिखित THEORY	आं. मू. IA/ प्रा. प्र. PRACT. PR.	योग TOTAL	योग (शब्दों में) TOTAL (IN WORDS)	
002	HINDI COURSE-A	069	020	089	EIGHTY NINE	A2
184	ENGLISH LNG & LIT.	061	019	080	EIGHTY	B2
041	MATHEMATICS STANDARD	039	020	059	FIFTY NINE	C1
086	SCIENCE	053	020	073	SEVENTY THREE	B1
087	SOCIAL SCIENCE	056	020	076	SEVENTY SIX	B2
165	ADDITIONAL SUBJECT COMPUTER APPLICATIONS	039	049	088	EIGHTY EIGHT	B2

संक्षिप्तों का अर्थ : Abbreviations

AB : अनुपस्थित Absent

IA : आंतरिक मूल्यांकन Internal Assessment

प्रा. प्र. : प्रायोगिक/Practical

ER : अनिवार्य पुनरावृत्ति सभी विषयों में Essential Repeat in all subjects

परिणाम Result PASS

दिल्ली Delhi

दिनांक Dated : 03-08-2021

 परीक्षा नियंत्रक  
Controller of Examinations

 सह-शैक्षणिक उपलब्धियां : सह-शैक्षणिक एवं अनुशासन क्षेत्र में ग्रेडिंग विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर बोर्ड द्वारा जारी प्रारूपनुसार प्रदान की जाती है।  
Co-Scholastic achievements : Grading for Co-Scholastic and Discipline area is being issued by the school as per format prescribed by the Board.

D.O. 93  
D.O. 45

गोपनीय

विश्राम कक्ष  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
फिरोजाबाद।

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ए०डी०जे०,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

पत्रांक -

50/2024, वि०न्या० पोक्सो/ए.डी.जे., दिनांक 01-04-2024

विषय -

अर्द्धशासकीय पत्र सं०-93/2024, दिनांकित 22-03-2024 के संबंध में  
स्पष्टीकरण।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - 93/2024, दिनांकित 22-03-2024 के माध्यम से मुझसे पुनः यह आख्या चाही गयी है कि क्यों न प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय सन्दर्भित कर दिया जाये, तो मेरे द्वारा इस संबंध में, श्रीमान् जी द्वारा दिये गये अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-45/2024, दिनांकित 18-03-2024 के प्रकाश में श्रीमान् जी को विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, जिसमें प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से महोदय को अवगत कराया है कि मैं डायस पर पीले रंग की टी-शर्ट नहीं पहने था, बल्कि हल्के पीले रंग का, पूरे बाह का स्वेटर पहने था।

स्पष्टीकरण, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

डा. विजय कुमार आजाद  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
फिरोजाबाद।  
दिनांक 01-04-2024

भवदीय,  
(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

श्रीमान् जी  
आख्या के माध्यम से पत्र सं०-93/2024 वि०न्या० पोक्सो/ए.डी.जे.  
दिनांक 22-03-2024 के संबंध में स्पष्टीकरण  
के अभाव में ए.डी.जे. द्वारा मुझसे पुनः  
आख्या प्राप्त की।  
दिनांक 01/04/24.

Sent by Dax Bahi  
Sr. No - 49/20/3/2024  
20/3/2024

गोपनीय

विश्राम कक्ष  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
फिरोजाबाद।

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ए०डी०जे०,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

पत्रांक - 49/2024, वि०न्या० पोक्सो/ए.डी.जे., दिनांक 19-03-2024

विषय - अर्द्धशासकीय पत्र सं०-45/2024, दिनांकित 18-03-2024 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

माननीय महोदय द्वारा दिये गये अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-45/2024, दिनांकित 18-03-2024, जो मुझे दिनांक 19-03-2024 को, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09-03-2024 के 10 दिन बाद इस बावत प्राप्त हुआ कि प्रार्थी, राष्ट्रीय लोक अदालत में शालीन परिधान न पहन कर, पीले रंग की टी-शर्ट पहन कर आया था।

माननीय महोदय, प्रार्थी ने, लोक अदालत दिनांक 09-03-2024 की बैठक में, गर्मी व पसीना आने के कारण अपना काला कोट चेम्बर में रख दिया था और काले कोट के नीचे पूरी बांह का हल्के पीले रंग का स्वेटर पहने था। पीले रंग की टी-शर्ट कतई नहीं पहनी थी। प्रार्थी, महोदय द्वारा बैठक कक्ष में ली गई बैठक में शामिल हुआ और काला कोट पहन कर ही न्यायालय में डायस पर बैठकर, लोक अदालत में सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत छः मामलों में से चार एफ०आर० (अन्तिम आख्या) तथा एक प्रकीर्ण फोजदारी वाद, कुल पाँच वादों का निस्तारण, पक्षों की सहमति के आधार पर करके, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना अमूल्य योगदान दिया।

माननीय महोदय ने राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09-03-2024 होने के 10 दिन बाद यह अर्द्धशासकीय पत्र दिया है, जबकि इस दौरान प्रार्थी ने महोदय से कई बार शिष्टाचार, मुलाकात की, परन्तु महोदय ने लोक अदालत में कोट ना पहनने की बावत कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी।

स्पष्टीकरण, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक 19-03-2024

भवदीय,

(विजय कुमार आजाद)

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ए०डी०जे०,  
फिरोजाबाद।

Received  
11.08.2024  
22/3/24

## कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद,

हरवीर सिंह,  
जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद,

‘गोपनीय’  
विश्राम कक्ष,  
जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद  
अर्द्ध शा0 पत्र सं0 93/2024  
दिनांक : 22.03.2024

श्री आजाद,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये अर्द्ध शासकीय पत्र सं0-45/2024 दिनांकित 18.03.2024 से चाहे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण दिनांकित 19.03.2024 में लिखा गया है कि "मेरे द्वारा पीले रंग की टीशर्ट कतई नहीं पहनी थी" जबकि संलग्न फोटो में आप पीले रंग की टीशर्ट पहने हुये है एवं आपके द्वारा स्पष्टीकरण में यह भी दर्शाया गया है कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित लोक अदलत में कुल 05 निस्तारित किये गये है जबकि इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं चाही गयी। आपके द्वारा स्पष्टीकरण में दिया गया कथन सत्य से परे है। इस सम्बन्ध में उक्त मामला क्यों न माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाये।


उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें।

संलग्नक-फोटो

  
(हरवीर सिंह)

श्री विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/  
अपर जिला जज, फिरोजाबाद।

LOK ADALAT. 29.3.2024



Rema  
19/3/2024

**कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद,**

हरवीर सिंह,  
जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद,

'गोपनीय'  
विश्राम कक्ष,  
जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद  
अर्द्ध शा0 पत्र सं0 45/2024  
दिनांक : 18.03.2024

श्री आजाद,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित लोक अदालत के कार्यक्रम में समस्त न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी, विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित थे एवं आपके दोनों तरफ बैठे अन्य अधिकारीगण शालीन परिधान में थे किन्तु आप पीली टीशर्ट पहने हुये थे, जो कि शालीन परिधान नहीं है। चूंकि न्यायालय परिसर में आयोजित किसी भी न्यायिक कार्यक्रम में पीली टीशर्ट/अनौपचारिक परिधान पहन कर आना न्यायिक अधिकारी के लिये अशोभनीय है।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें।

  
(हरवीर सिंह)

श्री विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/  
अपर जिला जज, फिरोजाबाद।

Received  
22-3-24  
सत्र 5-13 वकी

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

विषय:

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-93/2024, दिनांक 22-03-2024 एवं अर्द्ध  
शासकीय पत्र संख्या-94/2024, दिनांक 22-03-2024, का स्पष्टीकरण  
देने हेतु समय दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आज न्यायालय में पी०एस०टी० सं०-1070/2015,  
राज्य बनाम विवेक कुमार, मु०अ०सं०-339/2015, अन्तर्गत धारा-376, 511, 323,  
504, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, थाना सिरसागंज, जिला  
फिरोजाबाद में निर्णय/आदेश सुनाए जाने हेतु नियत है और प्रार्थी, निर्णय तैयार करने में  
व्यस्त है।

दिनांक 23-03-2024 चतुर्थ शनिवार अवकाश एवं दिनांक 24-03-2024,  
25-03-2024, 26-03-2024 होली अवकाश हैं। उक्त अवकाश अवधि में होली त्यौहार  
पर मुझे अपने गृह जनपद आगरा जाना है, जिसके संबंध में प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद की बेवसाइड पर, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु, अपलोड किया जा चुका है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-93/2024,  
दिनांक 22-03-2024 एवं अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-94/2024, दिनांक 22-3-2024  
का स्पष्टीकरण देने हेतु मुझे 10 दिन का अवसर प्रदान करने की महती कृपा करें।

सादर,

दिनांक 22-03-2024

May Submit by 01-4-2024

*Handwritten Signature*  
D.J. 22-3-24  
DISTRICT JUDGE  
FIROZABAD

भवदीय,

*Handwritten Signature*  
22/3/2024  
(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।



विश्राम कक्ष  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
फिरोजाबाद।

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/ए०डी०जे०,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

पत्रांक -

51/2024, वि०न्या० पोक्सो/ए.डी.जे., दिनांक 01-04-2024

विषय -

अर्द्धशासकीय पत्र सं०-94/2024, दिनांकित 22-03-2024 के संबंध में  
स्पष्टीकरण।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा दिनांक 19-03-2024 को अपराह्न 12:15 बजे मेरे न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा मुझे न्यायालय में उपस्थित न पाये जाने पर अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-94/2024, दिनांक 22-03-2024 के माध्यम से स्पष्टीकरण चाहा गया है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मैं, प्रतिदिन की भाँति दिनांक 19-03-2024 को प्रातः 10:30 बजे न्यायालय कक्ष में आसीन हुआ था व मेरे द्वारा लगभग 12:00 बजे तक विभिन्न पत्रावलियों में पुकार लगवायी गयी तथा उन पत्रावलियों में की जाने वाली कार्यवाही का अवलोकन किया तथा 12:00 बजे के पश्चात मैं लघुशंका निवारण हेतु अपने विश्राम कक्ष में चला गया था। थोड़ी देर पश्चात मुझे यह अवगत कराया गया कि महोदय द्वारा मेरे न्यायालय में वीडियोग्राफी करते हुए उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ की गयी है तथा पी०एस०टी० संख्या-1199/2021, सरकार बनाम लाखन सिंह की पत्रावली में उपस्थित साक्षी से भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए पूछताछ की गयी है।

महोदय जहाँ तक उक्त तिथि को न्यायालय में मौजूद न होने का प्रश्न है, जैसा कि मेरे द्वारा ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है कि मैं, महोदय द्वारा न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण के समय 12:00 बजे के पश्चात अपने विश्राम कक्ष में लघुशंका निवारण हेतु गया था। न्यायिक कार्य सम्पादन के दौरान लघुशंका के निवारण हेतु न्यायालय से विश्राम कक्ष में जाना सामान्य प्रक्रिया है, जिसे रोके रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि महोदय द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मैं न्यायालय कक्ष में मौजूद नहीं था तो इसके लिए समुचित कारण था। मैं, जानबूझ कर न्यायालय कक्ष से अनुपस्थित नहीं रहा, न ही इस सम्बन्ध में मेरी कोई मंशा थी। जहाँ तक मेरी गैर मौजूदगी में रीडर द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण में साक्षी के बयान लिखे जाने का प्रश्न है। रीडर द्वारा बयान नहीं लिखा जा रहा था, मात्र नाम, पता व मुकदमा नम्बर का ही उल्लेख किया गया था, जिसके सम्बन्ध में महोदय सम्बन्धित रीडर से आख्या प्राप्त कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण, माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(विजय कुमार आजाद)

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

विश्राम कक्ष  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)  
दिनांक 01-04-2024  
मेरी वरिष्ठ लिफाफे का शंकर  
जो-मे-प्राद-विस्तार।  
01/04/24.

Remindatf.wppa  
7  
22/3/24.

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद,

हरवीर सिंह,  
जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद,

'गोपनीय'  
विश्राम कक्ष,  
जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद  
अर्द्ध शा0 पत्र सं0 94/2024  
दिनांक : 22.03.2024

श्री आजाद,

अधोहस्ताक्षरी एवं अपर जिला जज, कोर्ट सं0-11, फिरोजाबाद दिनांक 19.03.2024 को समय 12:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष की ओर से न्यायालय आने पर देखा गया कि आप न्यायालय में उपस्थित नहीं थे एवं आपकी उपस्थित के सम्बन्ध में आपके न्यायालय के कर्मचारी द्वारा पूछे जाने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें।

  
(हरवीर सिंह)

श्री विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/  
अपर जिला जज, फिरोजाबाद।



न्यायालय स्पेश जज जोसो रुकर/अपर सत न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद/

P.S.T. 1199/21  
शे/लखनसिंह

जाम पता लादी - मेरा नाम इरिपाल सिंह-310 वनीसिंह R10  
जैतपुर उम्र करीब 35 साल धान्य- सिरसागंज जिला  
फिरोजाबाद/

शासकन व्यक्त लिपि लि-

मेरा नाम पुष्पदमा वनीसिंह के भ्रात्रे वनवीर  
सिंह का दामाद हूँ। मैं जैतपुर धान्य सिरसागंज जिला  
रहने वाला हूँ। मेरी समुदाय ग्राम लूखापर सोनरा धान्य  
सिरसागंज जिला फिरोजाबाद में है। मेरी यचिया  
लसुर की लड़की कु- मेहा के साथ लखन पुत्र  
राजेश ने दिनांक- 30.3.21 को रात्रि करीब 2 बजे  
घर में घुसना देड़ बत्ती की ली/उस लपट में  
यचिया लसुर वनीसिंह यचिया साथ जो लोका  
अपनी समुदाय गये थे।

घर पर मेरा पाला सिन्टू मौजूद था  
सिन्टू ने अभियुक्त लखन को मोके पर डीपक  
लिपा था और उसे पकाइकर खाने पर ले गये थे  
लूचनापर में भी पकड़े गए था मेरी यचिया

-रखालसिंह

PW/3  
19.3.24

208  
2

लखन वनी सिंह ने गाना मिरसांग पर अस्मियुक्त  
लखन पुत्र रात्रेश को विरह पुन्यता लामप लामप  
या

exam by Defence.

मेहा मेरी साली दो चचिया लखन वनी  
हो लखन मेरा जोई नहो लागता। लखन लो मे  
तब ले जानता जब ले मेरो शादी हुई थी लखन  
स मेरा जोई झगडा-विवाद आडा तब नहो हुआ हो

घरना पितोला 30.3.21 रात्रि दो वजे थी हो  
उस लामप से अपने घर जेनपुर मे जा  
होए घरना सरजपुर लोचरा मे हुई थी। सरजपुर  
लोचरा मेरे गाँव से 15-16 किलोमी दूर हो

घरना होत हुए मेने अपनी आजा से  
नहो देवी। जोई न हो लखन को मेने पकडा।  
दरोगाजी ने मेरा जोई लपत नहो लिखाया।

इस पुन्यदमे थी रिपोर्ट मेने न लिखी न  
मेने लिखाई थी। मे ~~घरना~~ लखन पर नहो गया  
या।

हरपाल सिंह

रा/लघन

PK/3  
19.3.24

२०५  
१३

पह लहना जलत हे विषा से पीडित मोरी जाली  
घेने के कारण से ह्यत्र न्यायलय के इन्वे जावही  
केने भाषा ~~अस~~

कुलकार तहदीक  
लिखा

हयालय

इकल व्यावसे  
त्यास केर न्यायलय  
लिखा जाया

~~अस~~  
Salpoco  
19.3.24

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।**

आदेश संख्या- 38/2024

दिनांक- 12-04-2024

**आदेश**

*Received  
After charge  
Handed over at  
D.J. Residum C/o  
03.57, P.M.*

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांकित 45/2024 दिनांकित 18.03.2024 तथा उसी के सन्दर्भ में दिये गये अर्द्ध शासकीय पत्र 93/2024 दिनांकित 22.03.2024 दिनांकित में आपके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण दिनांक 01.04.2024 को ध्यान में रखते हुये यह अवगत कराना है कि आपके द्वारा पीले रंग के स्वेटर/टी शर्ट लोक अदालत के उदघाटन समारोह में पहना गया था न कि डायज पर, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी सुसज्जित वेश-भूषा में उपस्थित हुये थे अतः आपको सलाह दी जाती है कि जिला न्यायालय में होने वाले समारोह के अवसर पर सुसज्जित वेश-भूषा पहन कर आये।

*W. Kumar  
12/4/24*

जनपद न्यायाधीश

फिरोजाबाद।  
DISTRICT JUDGE  
FIROZABAD

श्री विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट/  
अपर जिला जज  
फिरोजाबाद।